भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1906

जिसका उत्तर 09.12.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

1906. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री चंद्रशेखर साहू:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओडिशा राज्य के लिए भी ऐसी विस्तृत समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य में देरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य किस हद तक प्रभावित हुआ है;

(ड.) ओडिशा सहित देश में विभिन्न परियोजनाओं की इस तरह की देरी के कारण बढ़ी लागत का ब्यौरा क्या है;

(च) इसके परिणाम स्वरूप राजकोष को कितनी हानि हुई है; और

(छ) लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। हाल ही में ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, परियोजना विकासकर्ताओं, ठेकेदारों / रियायतग्राहियों, राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है, जिससे भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, उपयोगिता स्थानांतरण, ठेकेदार का प्रदर्शन, आदि संबंधित कई परियोजना संबंधी मुद्दों का समाधान हुआ है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण में बेहतर प्रगति हुई है।

(ग) से (छ) कोविड-19 महामारी के कारण कुछ हद तक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में विलम्ब हुआ है और परियोजना के मापदंडों के आधार पर आम तौर पर 3-9 महीने की सीमा में समय की हानि होने का अनुमान लगाया गया था। परियोजनाओं में विलम्ब होने से कभी-कभी लागत में वृद्धि हो जाती है। बीओटी परियोजनाओं में, रियायतग्राही द्वारा लागत में आई वृद्धि का वहन किया जाता है। अन्य परियोजनाओं में, मूल्य वृद्धि अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय होती है, और मूल्य वृद्धि की वास्तविक राशि और अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना लागत में वास्तविक वृद्धि, यदि कोई हो, का केवल परियोजना के वास्तविक समापन और बिलों के अंतिम निपटान पर ही पता चल पाता है।

सरकार ने आत्मानिर्भर भारत के तहत कई कदम उठाए हैं, जैसे कि 3 से 9 महीने के लिए समय सीमा को बढ़ाना, नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध प्रावधानों में छूट देना, उप-ठेकेदारों को सीधे भुगतान और नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रतिधारण / सुरक्षा राशि जारी करना, निष्पादन प्रतिभूति (नए अनुबंधों के लिए) जमा करने में देरी के मामले में जुर्माने की छूट ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

*****